प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित अरविन्द कुमार पोसवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 153/**2023** (अपील सूचना का अधिकार)
प्रदीप त्रिपाठी पताः 04, गोविन्द नगर, हिरण मगरी, सेक्टर–13, उदयपुर

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/01/2024

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील ऑनलाईन क्रमांक 329542462289805 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2023 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नही करायी जाने से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु ऑनलाईन पत्र क्रमांक 6873589508 दिनांक 21.12.2023 एवं कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/153/23/2023/1582–83 दिनांक 21.12.2023 से लिखा गया

अपीलार्थी अनुपस्थित। सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपने जवाब जरिये पत्रांक स.लो.सू.अ./2024/116 दिनांक 09.01.2024 से जवाब प्रस्तुत कर कार्यालय का अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार गिर्वा द्वारा क्रमांक राजस्व न्यायालय/2023/869 दिनांक 13.03.2023 के संदर्भ में उपखण्ड कार्यालय गिर्वा द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना चाही गई थी, परन्तु इस संबंध में कार्यालय तहसीलदार गिर्वा से इस कार्यालय में ऐसा कोई भी पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी को कार्यालय के पत्र क्रमांक स.लो.सू.अ./2023/2383 दिनांक 08.11.2023 द्वारा सूचना से अवगत कराया जा चुका है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि जवाब स्वीकार फरमाया जाकर अपील निरस्त कराने का श्रम करावे।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के कार्यालय में दिनांक 06.10.2023 को ऑनलाईन पत्र प्रेषित कर सूचना चाही गई। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब जरिये पत्रांक 116 दिनांक 09.01.2024 से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को जरिये पत्रांक 2383 दिनांक 08.11.2023 से सूचना के संबंध में अपीलार्थी को अवगत करवा दिया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जा रही वांछित सूचना प्रत्यर्थी के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। **"सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामग्री से कोई निष्कर्ष निकाले और इस प्रकार निकाले निष्कर्ष को आवेदक को भेजे। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। इस अधिनियम के तहत केवल ऐसी सूचना प्रदान करना अपेक्षित है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है अथवा उसके नियंत्रण में है। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना, या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नहीं है।"**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा के कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ प्रेषित की जावें।

प्रकरण फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दफ्तर दाखिल हों।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि.
एवं जिला कलक्टर, उदयपुर